संख्या-32/679/30-3-15-10बी/2013-1

प्रेषक,

नर्वेद सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

परिवहन अनुभाग-3 लखनऊ दिनॉक 25 मार्च, 2015

विषय- प्रदेश के पूर्व निर्मित सम्भागीय परिवहन कार्यालय-आगरा में सारथी साफ्टवेयर आधारित स्मार्ट कार्ड आधारित ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिये हाल के निर्माण हेतु द्वितीय किस्त की अवशेष धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्रांक-626ए/2015-17नजारत/2013, दिनॉक 24-03-2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के पूर्व निर्मित सम्भागीय/उप सम्भागीय परिवहन कार्यालयों में सारथी साफ्टवेयर आधारित स्मार्ट कार्ड आधारित ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिये हाल के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2013-14 में शासनादेश संख्या-19/70/30-3-14-10बी/2013टी0सी0, दिनॉक 20-02-2014 द्वारा सम्भागीय परिवहन कार्यालय-गाजियाबाद, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, इलाहाबाद, आगरा व अलीगढ के पूर्व निर्मित कार्यालय भवन में स्मार्ट कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस बनाने हेतु एक हाल के निर्माण के लिये प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा ऑकलित लागत रू0 1106.34 लाख के आधार पर उक्त परिवहन कार्यालयों में सारथी हॉल के निर्माण हेतु रू0 1106.34 लाख (रू0 ग्यारह करोड. छः लाख चौंतीस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष प्रथम किस्त के रूप में 50 प्रतिशत धनराशि रू0 553.17 लाख (रू0 पॉच करोड. तिरपन लाख सत्रह हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त की गयी है। तत्क्रम में सम्भागीय परिवहन कार्यालय, आगरा से निर्गत की गयी प्रथम किस्त की धनराशि का उपभोग कर लिये जाने तथा कार्य के संतोषजनक होने का प्रमाण-पत्र प्राप्त होने के फलस्वरूप द्वितीय किस्त के रूप में अवशेष 50 प्रतिशत धनराशि रू0 79.725 लाख (रू0 उन्नासी लाख बहत्तर हजार पॉच सौ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए आपके निवर्तन पर रखे जाने की निम्नांकित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) आहरित धनराशि पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(2) परियोजना निर्माण में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी मितव्ययिता सम्बन्धी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) निर्माण के समय कार्य की विशिष्टियॉ, मानक व गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने का उत्तरदायित्व विभागाध्यक्ष का होगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

(4) उक्त कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति न हो, इसका पूर्ण उत्तरदायित्व विभागाध्यक्ष को होगा।

(5) परियोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण कर लिया जायेगा और इसका उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था का होगा और इस हेतु कोई पुनरीक्षित लागत स्वीकृत नहीं की जायेगी।

(6) पूर्व निर्मित सम्भागीय/उप सम्भागीय परिवहन कार्यालयों में सारथी साफ्टवेयर आधारित स्मार्ट कार्ड आधारित ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिये हाल के निर्माण के मानकीकरण एवं लागत सम्बन्धी शासनादेश संख्या-2011/30-3-13-10बी/2013टी0सी0, दिनॉक 13-09-2013 का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) उक्त व्यय के सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व आपका होगा।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक में परिवहन विभाग की अनुदान संख्या-43 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में लेखाशीर्ष "4059-लोक निर्माण कार्य पर पूॅजीगत परिव्यय-01-कार्यालय भवन-051-निर्माण-05-सम्भागीय परिवहन कार्यालय-लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, आगरा, गाजियाबाद एवं अलीगढ़ में सारथी हॉल का निर्माण-24-वृहत् निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
ह0
(नर्वेद सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या-32/679(1)/30-3-2015, तददिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
4- वित्त नियंत्रक, कार्यालय-परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
5- सम्भागीय परिवहन अधिकारी, आगरा द्वारा परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
6- नियोजन अनुभाग-4
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
8- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ ।
9- सम्बन्धित कार्यदायी संस्था-उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम लि0 द्वारा परिवहन आयुक्त।
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0
(नर्वेद सिंह)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in